

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020


जयपुर, दिनांक : 18.03.2020

आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु समस्त चिकित्सा कर्मी कार्य स्थल पर ड्यूटी के दौरान ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें तथा Hand Hygiene के प्रोटोकॉल की पालना करना सुनिश्चित करें।


साथ ही सभी चिकित्सा संस्थानों में ट्रिपल लेयर मास्क के उपयोग के पश्चात उसका निस्तारण विभाग द्वारा जारी बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाईड लाईन्स के अनुसार किया जावे।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावें।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय / मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
12. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
13. निजी / रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार) 18.3.2020
शासन उप सचिव